बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 159705 पटना, दिनांक 13/08/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(प्रोत्साहन)-127/2011

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत महादलित वर्ग के लाभुकों द्वारा दूसरे किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 2,000 अतिरिक्त अनुदान देने के संबंध में ।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत महादलित वर्ग के लाभुकों द्वारा दूसरे किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए लाभार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है तथा इस योजना के तहत योग्य लाभुकों को प्रोत्साहन स्वरूप ₹ 2,000 अतिरिक्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है ।

विभाग द्वारा इस योजना का प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया है, किन्तु अधिक-से-अधिक लाभुक ससमय अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर इस योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है । इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में इस योजना का दीवार-लेखन कराया जाय ताकि अधिक-से-अधिक नागरिकों को जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सके । साथ ही साथ इसका हैण्डबिल मुद्रित कराकर सभी महादलित लाभार्थियों को तामिला कराया जाय । चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना की निधि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है तथा निकट भविष्य में इसके लिए जिलों को निधि का आवंटन भी किया जायेगा, अतएव दीवार लेखन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय । दीवार लेखन/हैण्डबिल मुद्रण कराने का प्रारूप निम्नवत है -

" मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले महादलित परिवारों के पक्के घर कम-से-कम समय में बने, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2013 से मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है ।
2. इस योजना में महादलित वर्ग के जो लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत द्वितीय किस्त की सहायता राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर अपना आवास निर्माण पूर्ण कर लेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से ₹ 2000 अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप दिये जायेंगे ।

3. इसके लिए लाभान्वित को पूर्ण किये हुए घर का फोटोग्राफ, जिसमें लाभान्वित स्वयं हो, साक्ष्य के रूप में देना होगा, जिसमें फोटोग्राफी की तिथि भी अंकित हो ।
4. प्रोत्साहन की राशि ₹ 2000 लाभान्वित के बैंक खाते में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सीधे प्रेषित कर दी जायेगी ।
5. सभी लाभान्वितों से अपेक्षा है कि वे द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के दो माह के अंदर अपना घर बनाने का कार्य पूर्ण करें और फोटोग्राफ युक्त साक्ष्य प्रखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें । विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है । "

जिलाधिकारी/उप विकास आयुक्त अपने स्तर से अन्य प्रचार माध्यमों से भी इसका व्यापक प्रचार कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

13.8.13

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 859.doc